संख्या: 8/2025/1069/46-1-2025-20(23)/89टी.सी.

प्रेषक,

सी. इंदुमती,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,

शाहजहाँपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2025**

विषय: उ.प्र. गन्ना शोध परिषद सेवा नियमावली के नियम-21 में किये गये परिवर्तन को भूतलक्षी(Retrospective effect) प्रभाव से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:4558/शोध परिषद्/2024, दिनांक 04-12-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के कार्मिकों हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावली के वर्तमान नियम-21 को निम्नवत स्तम्भ-2 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
(1)	(2)
नियम-21 "परिषद् के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का भुगतान किए जाने हेतु 'स्व-वित्त पोषित पेंशन स्कीम" के अंतर्गत गठित की गयी पेंशन निधि में प्राविधानित धनराशि रू.5.00 करोड़ से प्राप्त ब्याज तथा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् की स्वंय की आय से प्राप्त धनराशि के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा या भविष्य में किये गये संशोधन या तदविषयक निर्गत शासनादेश	**नियम-21** "परिषद् के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु 'स्व-वित्त पोषित पेंशन स्कीम" के अंतर्गत गठित की गयी पेंशन निधि में प्राविधानित धनराशि रू.5.00 करोड़ से प्राप्त ब्याज तथा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद की स्वंय की आय से प्राप्त धनराशि के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा या भविष्य में किये गये संशोधन या तदविषयक निर्गत शासनादेश व निर्देश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व निर्देश सहित यथावत समय-समय पर लागू होते रहेंगे।	सहित यथावत समय-समय पर लागू होते रहेंगे। **परन्तुक यह है कि यह व्यवस्था स्व-वित्त पोषित पेंशन निधि के सृजन की तिथि अर्थात दिनांक 25.11.2010 से भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) से मानी जायेगी।**
परिषद के कर्मचारियों पर प्राविडेंट फण्ड एवं ग्रेच्युटी के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी। शोध परिषद के कार्मिकों हेतु राशिकरण पूर्व की भॉति अनुमन्य नहीं होगा।	परिषद के कर्मचारियों पर प्राविडेंट फण्ड एवं ग्रेच्युटी के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी । शोध परिषद के कार्मिकों हेतु राशिकरण पूर्व की भॉति अनुमन्य नहीं होगा।
परन्तु 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरांत नियुक्त उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के कार्मिकों पर उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों की भॉति नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।"	परन्तु 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरांत नियुक्त उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के कार्मिकों पर उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों की भॉति नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

3- कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

सी. इंदुमती

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी. इंदुमती)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in